न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 31/17 निर्णय दिनांकः– 13-11-2024
(जीसीएमएस संख्या 2017/00482)

1. हड़मान पुत्र हरीराम
2. रामेश्वरी पत्नी हड़मान
जाति जाट निवासी रौझा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मोहनराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रौझा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 09–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 26–06–2018 जिसके माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बहस हेतु आवाज लगाने पर अनुपस्थित रहे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी जोत चक 2 डीएलडी में आवागमन की मांग अपीलांट्स की जोत में से किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 2 डी एल डी के मुरब्बा नम्बर 190/34 के किला नम्बर 2, 3, 4 में से 02–02 बिस्वा रास्त स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट रोझा में पारित किया है एवं राजस्व कैम्प में सिर्फ सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जा सकते है। इस कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरआरटी 2023 (1) पेज 247 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर जारी कर दिये गये। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व रास्ते के आज्ञापक प्रावधान नियम 69 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है नाही रास्ता कायम करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट ही प्राप्त की गई है। ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से एवं अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्ता कायम करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 2 डीएलडी के मुरब्बा नम्बर 190/34 के किला नम्बर 2, 3 व 4 में से 02—02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण का राजस्व कैम्प में निस्तारण किया है जबकि राजस्व कैम्प में वही मुकदमे निस्तारित किये जाते है जहां दोनों पक्षकारान की सहमति उपलब्ध होती है। जबकि पत्रावली में उभय पक्षों के सहमति के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के बदले भूमि का प्रतिफल प्रदान कर नवीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया गया है जबकि वर्ष 2017 में भूमि के बदले भूमि देने का कोई कानूनी प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में निहित नहीं था। रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व नियम 69 के तहत मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कहीं कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना किया जाना प्रथम दृष्टया ही प्रतीत होता है। राजस्व कैम्प में निष्पादित मामलों में उभय पक्षों की सहमति आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में भी यह स्पष्ट किया गया है कि **"Lok Adalat can not pass any order if no compromise or settlement is arrived between the parties"**। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना व न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–05–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व नियम 69 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर